न्यायालय तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर

प्रकरण संख्या 05 / 2022

अन्तर्गत धारा 91
राज भू. राजस्व अधिनियम 1956

सरकार जरिये पटवारी हल्का खानपुरा

श्री सरजन सिंह पुत्र किशनपाल
जाति रावत नि0 पुराना बडगॉव अजमेर

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खानपुरा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कि की ग्राम पुराना बडगॉव के खसरा नम्बर 153 रकबा 23.73 बीड चरागाह भूमि है जिसमें से 0.24 हैक्ट. पर चार दीवारी निर्माण कर कब्जा कर लिया गया है।

वर्तमान में ग्राम पुराना बडगॉव की आराजी खसरा नम्बर 153 रकबा 23.73 हैक्ट. मुताबिक रिकार्ड बीड़ चरागाह भूमि दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट के अुनसार अतिक्रमी के विरूद्व अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पटवारी रिपोर्ट, राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी संवत 2078 के अनुसार खसरा नम्बर 153 रकबा 23.73 किस्म बीड़ चरागाह भूमि दर्ज है। जिस पर अतिक्रमी सरजन सिंह पुत्र किशनपा'ल जाति रावत निवासी पुराना बडगॉव द्वारा 0.24 हैक्ट. पर अनाधिकृत कब्जा किया जाना सिद्व होता है।

अतः उक्त अतिक्रमित भूमि ग्राम पुराना बडगॉव के खसरा नम्बर 153 से अतिक्रमी को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है साथ ही भूमि की लगान 1रू का पच्चास गुना 50 रू की शास्ती से दण्डित किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व भू.अभि. निरीक्षक / पटवारी हल्का को शास्ती राशी की वशूली व अतिक्रमी को मौके से बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28 / 02 / 2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार अजमेर
तहसीलदार, अजमेर